फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

[illegible] बनाम [illegible] वगैरा

मुकदमा नम्बर :- 124/11/06

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	4/7/24	प.क. उप० / अधिवक्ता अप्रार्थीगण की तरफ से [illegible] वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड पेश करने हेतु अधिवक्ता अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है व पत्रावली वास्ते पेश करने वर्तमान रिकॉर्ड हेतु दिनांक 10/7/24 को पेश हो।	
	10/7/24	प.क. उप० / वर्तमान रिकॉर्ड पेश करने हेतु समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 26/7/24 को पेश हो।	
	26/7/24	प.क. उप० / वर्तमान रिकॉर्ड पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी वादी ने अपनी बहस में कथन किया गया है कि विवादित भूमि के वादी / प्रार्थी अप्रार्थीगण सह-खातेदार काश्तकार है पूर्व के अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय से जारी की है प्रा.पत्र स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार कर तथा फैसला वाद स्थाई किये जाकर आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया गया है कि विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खरीद शुदा [illegible] विभाजन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण [illegible] पूर्वक [illegible] 2/3/2006 को [illegible] विभाजन कर लिया [illegible]	

P.T.O

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:41:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

नाम

मुकदमा नम्बर 82/11/06

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		गया है। वर्तमान के विवादित भूमि के खसरा नम्बर व ... का ... की परिस्थितियां ही सामान्य आम हो गयी विभाजन से पूर्व की ... स्थायी निषेधाज्ञा वाद/प्रार्थीपत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया जो स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया गया। जिससे सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय हानि का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है जिससे प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे।
		बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवं वर्तमान रिकॉर्ड व प्रा.पत्र डायरी के सामान्य रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र डायरी के स्पष्ट मालूम दिनांक 4/12/2006 की प्रस्तुत की गयी जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का विभाजन सहमति पूर्वक दिनांक 2/3/2006 को ही हो गया थी एवं प्रा. पत्र/वाद दिनांक 4/5/2006 को पेश किया गया है एवं वर्तमान के रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि के खसरा नम्बर एवं पक्षकारान की व प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया अ.नि. की प्रकृति ... की आम सामान्य हो ... होता है कि प्रार्थीगण ... प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को ... (clean hand) स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया गया है।

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:41:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

बाबूलाल बनाम सुण्डाराम वगै०

मुकदमा नम्बर 182/12/06

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		जिससे सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में कतई भी साबित नहीं होता है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला [illegible] नम्बर के कार्य हेतु हाजिर होकर उप [illegible] हो मूल वाद तथा दाखिल जवाब के सेशन रहे।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:41:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner